लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *177
11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत चीनी मिलें

***177. श्री रमाशंकर राजभर:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ चीनी मिलें वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं, यदि हां, तो उक्त मिलों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय के अंतर्गत कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड की गौरी बाजार चीनी मिल किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को बेची गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खरीदार का नाम और तत्संबंधी नियम/शर्तें क्या हैं;
(ग) क्या बिक्री के बावजूद मिल श्रमिकों और किसानों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा किसानों और श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री रमाशंकर राजभर द्वारा दिनांक 11.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *177 के उत्तर के भाग (क) से (घ) के संदर्भ में विवरण:

(क): इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) अर्थात् राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) और ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (बीआईसी) की सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनियों के अंतर्गत कुछ चीनी मिलें हैं। इन चीनी मिलों की विवरण एंव स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ख): भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड, जिसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था, दिनांक 16.04.2011 के माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) के आदेश के अनुपालन में दि सेक्यूरीटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेनसियल एस्सेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (एसएआरएफएईएसआई) एक्ट के तहत गौरी बाजार चीनी मिल को मेसर्स राजेंद्र इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को बेच दिया था।

(ग) और (घ): बीआईएफआर ने दिनांक 23.12.1998 के आदेश के तहत कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड (सीएसडब्लूएल) की पुनरुद्धार योजना (रिवाइवल स्कीम) को मंजूरी दी थी और बीआईसी को कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड (सीएसडब्लूएल) की संपूर्ण इक्विटी/ शेयर होल्डिंग्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जीईएल) को हस्तांतरित करने और सीएसडब्ल्यूएल का प्रबंधन तुरंत जीईएल को सौंपने का निर्देश दिया था। बीआईएफआर के दिनांक 23.12.1998 के आदेश के अनुपालन में दिनांक 12.01.1999 से सीएसडब्ल्यूएल का प्रबंधन प्रमोटर जीईएल को हस्तांतरित कर दिया गया था। बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना के अनुसार बीआईएफआर द्वारा नियुक्त किए गए प्रमोटर को किसानों और कामगारों की बकाया देय का भुगतान करना अपेक्षित था। तथापि, पुनरुद्धार योजना की विफलता के कारण बीआईएफआर ने जून 2003 में जेएचवी डिस्टिलरीज एंड शुगर मिल्स लिमिटेड (जेएचवीडीएसएमएल) नामक नए प्रमोटर और आईएफसीआई नामक प्रचालन एजेंसी नियुक्त की। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह गन्ना किसानों के लंबित बकाये के भुगतान से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए प्रमोटर और ऑपरेटिंग एजेंसी से संपर्क करें।

अनुबंध

एनटीसी और बीआईसी के अंतर्गत चीनी मिल का ब्यौरा और स्थिति

क्र. सं.	चीनी मिल	कंपनी का नाम	संबंधित सीपीएसई	वर्तमान स्थिति
1.	गणेश शुगर मिल्स आनंद नगर (महाराजगंज, यूपी)	स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एसएमएमसीएल)	एसएमएमसीएल एनटीसी की सहायक कंपनी है	प्रचालनशील नहीं है।
2.	श्री आनंद शुगर मिल्स (खलीलाबाद, यूपी)			प्रचालनशील नहीं है।
3.	मरहौरा डिस्टिलरी (सारण, बिहार)	कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड (सीएसडब्लूएल)	सीएसडब्ल्यूएल बीआईसी की सहयोगी है	प्रचालनशील नहीं है।
4.	पडरौना शुगर मिल (कुशीनगर, यूपी)			प्रचालनशील नहीं है।
5.	कठकुइयां शुगर मिल (देवरिया, यूपी)			बेच दी गई
6.	गौरी बाजार शुगर मिल (देवरिया, यूपी)			बेच दी गई
7.	बाराचकिया शुगर मिल (पूर्वी चंपारण, बिहार)	चंपारण शुगर कंपनी लिमिटेड (सीएससीएल)	सीएससीएल बीआईसी की सहयोगी है	बेच दी गई
8.	चनपटिया शुगर मिल (पश्चिम चंपारण, बिहार)			प्रचालनशील नहीं है।

*****